झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

आदेश

राज्य सरकार के कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ देने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के संकल्प संख्या 5207/वि0, दिनांक 14.08.2002 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के संकल्प संख्या 06/एस0–6(प्रो0)03/2009/2981, दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प ज्ञापांक 1117, दिनांक 03.06.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय एवं विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों को उनकी योगदान की तिथि से लगातार 12/24 एवं 10/20/30 वर्षों की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.02.2022 को आहुत स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में योग्य पाये गये कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7, 8 एवं 9 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्त्तमान पदस्थापन स्थान	वर्त्तमान वेतनमान	नियमित योगदान की तिथि	पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की तिथि एवं वेतनमान	देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की तिथि/पुनरीक्षित सातवां वेतनमान Matrix Level			अभ्युक्ति
						प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री कोरेन खेस उ0वि0पदा0	जिला उद्योग केन्द्र, रॉची	PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4600	24.10.1998	प्रथम MACP 24.10.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	—	द्वितीय MACP 24.10.2018 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	—	
2	श्री सुरेश वाल्टर पीटर तिर्की उ0वि0पदा0	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची	PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4600	22.07.1998	प्रथम MACP 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	—	द्वितीय MACP 22.07.2018 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	—	
3	श्री राजदेव विश्वकर्मा, सेवा निवृत कनीय सांख्यिकी सहायक	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4600	08.04.1994	प्रथम ACP 08.04.06 के प्रभाव से वे0 5500–9000 पुनरीक्षित वे0 PB-II-9300-34800, GP-4200 01.09.08 से प्रतिस्थानी GP 4600	—	द्वितीय MACP 08.04.2014 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	—	
4	श्री सचिन्द्र शरण, सेवा निवृत कनीय सां0 सहायक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची	PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 4800	06.08.1991	द्वितीय MACP दि0 06.08.11 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300-34800, GP-4800	—	—	तृतीयMACP 06.08.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300–34800 ग्रेड पे0 5400 Level-9	

5	श्री युगेन्द्र सिंह, कनीय सां सहायक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4800	23.08.1991	द्वितीय MACP दि0 23.08.11 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4800	—	—	तृतीयMACP 23.08.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 5400 Level-9	
6	श्री अरूण कुमार सेवा निवृत आशु0/आशुटंकक	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4600	07.03.1987	द्वितीय MACP दि0 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	—	—	तृतीयMACP 07.03.2017 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	
7	श्री सुरेश चन्द्र चौरसिया, प्रधान लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200	27.10.1987	द्वितीय MACP दि0 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-2800 प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप दि0 30.12.15 से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4200	—	—	तृतीयMACP 27.10.2017 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4600 Level-7	
8	श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200	15.06.1996	प्रथम MACP दि0 15.06.08 के प्रभाव से वे04500-7000 पुनरीक्षित वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P.2800 प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप दि0 31.07.20 से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4200	—	द्वितीय MACP 15.06.2016 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200 Level-6	—	
9	श्री सुधीर कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	PB-I-5200-20200 G.P.2800	20.06.1996	प्रथम ACP 20.06.2008 के प्रभाव से 4500—7000 पुनरीक्षित वे0 PB-I-5200-20200 GP-2800	—	द्वितीय MACP 20.06.2016 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200 Level-6	—	
10	श्री अतहर परवेज, उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, पलामू	PB-I-5200-20200 G.P.2800	24.05.2001	प्रथम MACP 24.05.2011 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.2800	—	द्वितीय MACP 24.05.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200 Level-6	—	
11	श्री दीपक कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	PB-I-5200-20200 G.P.2800	03.08.1998	प्रथम MACP 01.09.2008 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.2800	—	द्वितीय MACP 03.08.2018 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200 Level-6	—	

12	श्री संतोष कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र,देवघर	PB-I-5200-20200 G.P.2800	08.08.1997	प्रथम MACP 01.09.2008 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.2800	—	द्वितीय MACP 08.08.2017 के प्रभाव से वेतनमान PB-II-9300—34800 ग्रेड पे0 4200 Level-6	—	
13	श्रीमती निशात जाकिया, स्वागत सहायक	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	3200-4900	24.02.1983	प्रथम ACP 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान 3200—4900	—	द्वितीय ACP 24.02.2007 के प्रभाव से वे0 4000-6000	तृतीय MACP 24.02.2013 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200—20200 GP 2800 Level-5	
14	श्रीमती शीला सेंधानी, स्वागत सहायक	जिला उद्योग केन्द्र लोहरदगा	PB-I 5200-20200 GP-2400	06.08.1990	द्वितीय MACP दि0 06.08.10 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-2400	—	—	तृतीयMACP 06.08.2020 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2800 Level-5	
15	श्रीमती पुष्पा देवी आदेशपाल	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I-5200-20200 GP.-1800	21.12.2001	प्रथम MACP 21.12.2011 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.1800	—	द्वितीय MACP 21.12.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P.1900 Level-2	—	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
16	श्री रत्नेश कुमार सिन्हा, आदेशपाल	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I-5200-20200 GP.-1800	06.08.2011	—	प्रथमMACP 06.08.2021 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.1900 Level-2	—	—	मैट्रिक उत्तीर्ण
17	श्री लक्ष्मी राय, सेवा निवृत आदेशपाल	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1900	12.05.1989	द्वितीय MACP दि0 12.05.09 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-1900	—	—	तृतीयMACP 12.05.2019 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2000 Level-3	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
18	श्री राजू राम, आदेशपाल	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1800	28.12.1998	प्रथम MACP 28.12.2008 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.1800	—	द्वितीय MACP 28.12.2018 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P.1900 Level-2	—	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
19	श्री विपीन कुमार शर्मा, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	PB-I 5200-20200 GP.-1900	05.07.2000	प्रथम MACP 05.07.2010 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.1900	—	द्वितीय MACP 05.07.2020 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P.2000 Level-3	—	मैट्रिक उत्तीर्ण
20	श्री अनिल कुमार शर्मा, ट्रेजरी सरकार	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	PB-I 5200-20200 GP.-2000	11.06.1990	द्वितीय MACP दि0 11.06.10 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-2000	—	—	तृतीयMACP 11.06.2020 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2400 Level-4	मैट्रिक उत्तीर्ण

21	श्री अनिल उराँव, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	PB-I 5200-20200 GP.-1900	07.08.1991	द्वितीय MACP दि0 07.08.11 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-1900	—	—	तृतीयMACP 07.08.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2000 Level-3	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
22	श्री बलराम महतो, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	PB-I 5200-20200 GP.-1800	12.07.1989 नियमित नियुक्ति 13.12.2001 आ0 ज्ञापांक 836 दिनांक 14.03.2016	प्रथम MACP 13.12.2011 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 G.P.1800	—	द्वितीय MACP 13.12.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P.1900 Level-2	—	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
23	श्री श्याम बाबू मिस्त्री, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, पलामू	PB-I 5200-20200 GP.-2000	26.03.1990	द्वितीय MACP दि0 26.03.10 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-2000	—	—	तृतीयMACP 26.03.2020 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2400 Level-4	मैट्रिक उत्तीर्ण
24	मो0 उस्मान गन्नी, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह	PB-I 5200-20200 GP.-1900	12.06.1990 के अपराह्न में योगदान	द्वितीय MACP दि0 13.06.10 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-1900	—	—	तृतीयMACP 13.06.2020 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2000 Level-3	मैट्रिक अनुत्तीर्ण
25	श्री प्रेमचन्द तिवारी, आदेशपाल	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह	PB-I 5200-20200 GP.-1900	01.07.1991	द्वितीय MACP दि0 01.07.11 के प्रभाव से वे0 PB-I-5200-20200 GP-1900	—	—	तृतीयMACP 01.07.2021 के प्रभाव से वेतनमान PB-I-5200-20200 GP-2000 Level-3	मैट्रिक अनुत्तीर्ण

राज्य सरकार द्वारा समूह "घ" के कर्मियों को देय ग्रेड पे की देयता के संबंध में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 1859/वि0 दिनांक 02.09.2011 संकल्प ज्ञापांक 447/वि0 दिनांक 22.02.2013 एवं संकल्प ज्ञापांक 805/वि0 दिनांक 04.03.2014 को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक 01.01.2006 को अनुमान्य ग्रेड पे में वेतन निर्धारण का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से नहीं रहने की स्थिति में भी इस शर्त्त के साथ प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया कि प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 में वेतन निर्धारण के पूर्व उक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी से करा लेने के बाद ही प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 का वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त कर्मियों का एम0ए0सी0पी0 का लाभ निम्नांकित शर्त्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :–

i. संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से लागू है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एक ही संवर्ग के अधीन पुरानी ए0सी0पी0 योजना एवं एम0ए0 सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान का अंतर विसंगति नहीं मानी जायेगी।

ii. उक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मी का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के अधीन एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत

सरकारी सेवक प्रोन्नति /वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से दे सकते हैं। ऐसे मामले में वेतन एवं वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि0, दिनांक 28.02.2009 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

iii. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं वरीयता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। यह नियमित प्रोन्नति के समान नहीं होगा, इसके लिए पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। संवर्ग में कनीय कर्मी को एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

iv. इस योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप पदधारक के पदनाम वर्गीकरण एवं स्टेट्स में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। राजकीय उत्सवों, अलंकरण, समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रति नियोजन आदि कार्यों के लिए वे अपने मौलिक पद/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त करेंगे। लेकिन उच्चतर वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा।

v. वेतन सत्यापन के दौरान वित्तीय उत्क्रमण/वेतन निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति प्रकाश में आने पर वित विभाग का निर्णय अंतिम होगा। देय वित्तीय उत्क्रमण का लाभ तद्नुसार सामंजित कर ली जायेगी एवं अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर एक मुश्त वसुल कर ली जायेगी।

vi. निदेशालय में उपलब्ध सूचना यथा विभागीय कार्यवाही/थाना कांड निगरानी मामले, आरोप आदि के आधार पर उक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया है। भविष्य में यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी कर्मी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही लम्बित है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी तथा प्राप्त वित्तीय लाभ की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।

vii. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 5207/वि0 दिनांक 14.08.2002 एवं संकल्प संख्या 2981/वि0 दिनांक 01.09.2009 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 1117 दिनांक 03.06.2011 के अन्य सभी प्रावधान/शर्तें उक्त वित्तीय उन्नयन पर यथावत रूप से लागू होंगे।

viii. वित्त विभाग के पत्र संख्या 1117, दिनांक 03.06.2011 के आलोक में प्रदत्त प्रतिस्थानी ग्रेड पे में कर्मियों को केवल ग्रेड पे का अन्तर देय होगा। वेतन निर्धारण (Fixation) में अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा।

ix. योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 2697/वि0 दिनांक 11.10.2019 के अनुसार सरकारी सेवक प्रोन्नति अथवा ACP/MACP से संबंधित आदेश में मौलिक नियम (FR)22(1)(A)(i) के तहत आदेश/अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प का चयन कर लिया जाय कि वेतन निर्धारण प्रोन्नति ACP/MACP की तिथि से अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से दिया जाय।

(3) उक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ अंतिम रूप से स्वीकृत किया जा रहा है। इसकी सम्पुष्टि/स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एम0ए0सी0पी0 के तहत निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग/जिला लेखा पदाधिकारी से कराने के उपरान्त ही वित्तीय लाभ देय होगा।

(4) योजना–सह–वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1365/वि0 दिनांक 07.04.2017 में निरूपित प्रावधान के आलोक में अनुशंसित कार्यरत उद्योग विस्तार पदाधिकारी/कनीय सांख्यिकी सहायक/उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक (पूर्व पद पत्राचार लिपिक एवं विपत्र लिपिक) से संबंधी शपथ–पत्र प्राप्त कर ली गयी है। एतदर्थ भविष्य में प्रदत्त ACP/MACP में कोई त्रुटि पाए जाने पर आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी। ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से किए जाने के उपरान्त ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा।

अतः सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/जिला लेखा पदाधिकारी से वेतन निर्धारण के सत्यापन के पश्चात ही देय लाभ का भुगतान करेंगे। इसकी जिम्मेवारी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की होगी।

प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक ______________/रॉची, दिनांक
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0–01/2012

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक ______________/रॉची, दिनांक
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0–01/2012

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, झारखण्ड/सचिवालय कोषागार, डोरन्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक 468/रॉची, दिनांक 11/03/2022
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0–01/2012

प्रतिलिपिः सचिव, उद्योग, विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची/महाप्रबन्धक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड एवं सूची में अंकित सभी संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/22
उद्योग निदेशक